FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम अराई (अजमेर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

आशा देवी पत्नी बंशीलाल जाति ढोली निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

–प्राथी

बनाम

छीतर पुत्र घीसा जाति जाट व अन्य निवासी ग्राम सील तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

–अप्रार्थीगण।

अन्य।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 37/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/..........

वकील अप्रार्थीगण..................

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
07/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 21/6/24 को पेश हो।	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। तलबी.......हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते....तलबी अप्रार्थीगण......हेतु दिनांक 12/7/24.. को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 23/8/24.... को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई आज [illegible]...... [illegible]....... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/24......को पेश हो।	

9/5/25	पत्रावली पेश हुई ...... आर. जिरशःदार... [illegible] की ओर से कार्य स्थगित रखा गया। ...... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/5/25 को पेश हो।	
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब [illegible] /दौरे/अवकाश पर रहने। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ...... दिनांक 20/6/25 को पेश हो। [signature]	
21/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	श्रीमान जी, राजहित प्रभावित नहीं होता है। [signature] ना.तह.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .... उनवान आशा देवी बनाम छीतर वगैरह:

आशा देवी पत्नी बंशी लाल जाति ढोली निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अराई जिला

प्रार्थीया

बनाम

1. छीतर पुत्र घीसा
2. नाथू पुत्र घीसा
3. रामाकिशन पुत्र लादू

सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.

4. किशना पुत्र गंगल्या
5. जगदीश पुत्र केदार
6. प्रधान पुत्र कालू
7. बद्री पुत्र बिरदा
8. रामधन पुत्र गंगल्या
9. श्रवण पुत्र बिरदा
10. सुखलाल पुत्र कालू
11. हरदीन पुत्र गंगल्या

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.

12. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा अराई जिला अजमेर राज.
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 21/11/25

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 29.5.2024 को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 55 पुराना खाता संख्या 52 खसरा संख्या 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर ग्राम सील पटवार हल्का सान्दोलिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है।प्रार्थीया अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद बवस्तुर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नवशा ट्रैस में भी प्रार्थीया की भूमि कर इन्द्राज चला आ रहा है।अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 की ग्राम सील स्थित भूमि जिसकें खसरा नम्बर 2 की कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1 के दक्षिण दिशा में है तथा अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 11 की कृषि भूगि जिसके खसरा संख्या 3,4,6,9,7 है जो प्रार्थीया की कृषि भूमि की दक्षिण दिशा में स्थित है।प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 आये दिन प्रार्थीया की भूमि में हस्ताक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 आये दिन प्रार्थीया की कृत्रि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है।उपरोक्त खसरा

नम्बरान के मध्य त्तीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 आये दिन प्रार्थीया के साथ उसकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 13 श्रीमान तहसीलदार महोदय अराई के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, अराई के आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/22/87 दिनांक 17.05.2022 की पालना में दिनांक 07.06.2022 को गौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या से 11 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा।प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थीया को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 13 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू-अभिलेख प्रतिनिधि है एंद अ/प्रार्थी 12 के यहां अप्रार्थीगण की कृषि आराजी रहन है इसलिए पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है ।अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की भूमि साता संख्या नया 55 पुराना जाता संख्या 52 खसरा संख्या 1 रकबा 1.5856 हेक्टेयर ग्राम सील पटवार हल्का सान्दोलिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाए चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश कर प्रार्थीया के पक्ष में पत्थरगढी करवाकर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

दिनाकं 28.3.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 10, 12 से 77, 79 से 93 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 28.3.2025 को इनके के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । वकील वादी ने अप्रार्थी संख्या 11, 78 को तर्क करने हेतु आवेदन किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है । दिनांक 3.9.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन कृषि भूमि खाता संख्या नया 55 पुराना खाता संख्या 52 खसरा संख्या 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर ग्राम सील पटवार हल्का सान्दोलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 55 पुराना खाता संख्या 52 खसरा संख्या 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर ग्राम सील पटवार हल्का सान्दोलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि भूमि खाता संख्या नया 55 पुराना खाता संख्या 52 खसरा संख्या 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर ग्राम सील पटवार हल्का सान्दोलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/-रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/- रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.11.25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)